पत्रांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)–123/2016.....5239.....(5)/रा०

**झारखण्ड सरकार,**

**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**

प्रेषक,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक–.....20-10-17

विषय :– रैयती भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन म्यूटेशन एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने में आ रही समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–01.01.1946 से पूर्व निबंधित विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन म्यूटेशन एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने तथा सरकार के सक्षम स्तर से सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों को बंदोबस्त भूमि का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने में आ रही समस्याओं के निराकरण करने के संबंध में विभागीय ज्ञापांक–2247/रा0, दिनांक–05.05.2017 एवं पत्रांक–2861/रा0, दिनांक–08.06.2017 द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत है।

रैयती भूमि से संबंधित खतियान एवं पंजी–II की डाटा इन्ट्री में विभाग को कई ऐसे दृष्टांत संज्ञान में आए है जिनमें :–

(1) खाता नं0, खेसरा अथवा रकबा की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई है। ऐसे मामले में पूर्व से ही दाखिल–खारिज वादों की स्वीकृति तद्नुसार निर्गत शुद्धि–पत्र (Correction Slip) के आधार पर पंजी–II में हल्का कर्मचारी द्वारा की गयी प्रविष्टि या तो जानबूझ कर अथवा भूलवश की गयी है। त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के आधार पर की गयी डाटा इन्ट्री भी त्रुटिपूर्ण है, जिसे संशोधित किया जाना अपेक्षित है साथ ही साथ पंजी–II में शुद्धिपत्र से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने वाले राजस्व कर्मचारियों के चिन्हितिकरण की कार्रवाई भी अपेक्षित है ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके।

(2) ऐसे भी दृष्टांत विभाग के संज्ञान में आ रहे है जिनमें एक ही भूमि का अलग–अलग व्यक्तियों के नाम से पंजी–II में प्रविष्टि की गयी है तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है जिससे भूमि विवाद की संभावना बनी रहती है, जिसे लोक हित में नियंत्रित किया जाना अपेक्षित है।

(3) कहीं–कहीं तो पंजी–II में रैयतों को धारित खतियान में उल्लेखित भूमि के रकबे से अधिक भूमि का दाखिल–खारिज करते हुए पंजी–II संधारित किया गया है, जिससे

भू–माफियाओं, भू–दलालों को कम पढ़े–लिखे/अशिक्षित रैयतों की भूमि को जालसाजी कर हड़पने का पर्याप्त मौका मिल जाता है। उक्त पर कठोर नियंत्रण जरूरी है।

(4) शहरी क्षेत्रों में एम0एस0 प्लॉट के ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने में भी आ रही कठिनाईयों के दृष्टांत भी विभाग के संज्ञान में आए है। एम0एस0 प्लॉटों का आर0एस0 प्लॉट खतियान, नक्शा एवं प्लॉट इण्डेक्स से शुद्धता की जाँचोपरांत एवं सत्यापनोपरांत डिजिटाईज एवं अपलोड किया जाना अपेक्षित है, ताकि एम0एस0 प्लॉटों में ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की समस्या का निराकरण किया जा सके।

उपर्युक्त कठिनाईयों से रैयतों को निजात दिलाने हेतु निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है :–

(i) झारखण्ड राज्य के सभी अंचलों में एक अभियान चलाकर पंजी–II की वैसी सभी तरह की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की पहचान एक सप्ताह के अंदर की जाय। जिन मामलों में दाखिल–खारिज/नामांतरण मामलों के निष्पादनोपरांत निर्गत शुद्धिपत्र के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि पंजी–II में की गयी हो तथा उसके आधार पर डाटा इन्ट्री में पूर्व की पंजी–II में गलत प्रविष्टि से त्रुटिपूर्ण डाटा इन्ट्री की गयी हो, वैसे मामलों में अंचल अधिकारी अंचल में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अवलोकनोपरांत तथा संबंधित पक्षों को सुनकर अधिकतम एक माह के अंदर पंजी–II में सही–सही प्रविष्टि करने हेतु स्पष्ट अनुशंसा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेजेंगे। दाखिल–खारिज से संबंधित ऐसे मामलों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर दाखिल–खारिज अपीलवाद दर्ज कर मामले से संबंधित पक्षों को सुनकर आदेश पारित करेंगे। इस तरह के मामलों का निष्पादन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अधिकतम एक माह के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अंचल अधिकारी को प्रेषित करेंगे। अंचल अधिकारी के द्वारा एक सप्ताह के अंदर तद्नुसार पंजी–II संशोधित करते हुए संशोधन के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे। पूर्व में की गयी डाटा इन्ट्री को तद्पोरांत संशोधित करेंगे। उक्त संशोधन कार्य हर माह की पहली तारीख से दसवीं तारीख के बीच की अवधि में कार्यालय दिवसों को किया जायेगा।

(ii) जिन मामलों में गंभीर भूल (Material Error) न हो वैसे मामलों की शुद्धि के संबंध में अंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारियों से अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त कर भू–अभिलेख/पंजी–II संशोधन की कार्रवाई करेंगे तथा संगत पंजियों में संशोधन के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे। ऐसे मामलों में आदेश के उपरांत शुद्धिपत्र निर्गत किया जायेगा, जिसका अनुपालन एक सप्ताह के अंदर हल्का कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।

(iii) शहरी क्षेत्रों में एम0एस0 प्लॉटों के ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु एम0एस0 प्लॉटों का डिजिटाईजेशन कराया जाय। जिन

प्लॉटों में एम0एस0 प्लॉट दर्ज है उसमें आर0एस0 प्लॉटों से मिलान कर डिजिटाईज कराया जाय। जिन मौजों में कुछ अंश आर0एस0 प्लॉट का उपलब्ध हो तथा कुछ मौजो में एम0एस0 प्लॉट का उपलब्ध हो, वैसे मौजों में आर0एस0 अथवा एम0एस0 प्लॉट जाँचोपरांत एवं सत्यापनोपरांत खतियान, नक्शा, प्लॉट इण्डेक्स से जाँच कराते हुए डिजिटाईज किया जाय एवं अपलोड कराया जाय। उक्त सभी कार्य 15 दिनों में संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा पूर्ण कराया जाय। अंचल अधिकारियों से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर NIC द्वारा 15 दिनों में इसे ऑनलाईन कराया जाय।

(iv) उपर्युक्त के संबंध में रैयतों/आवेदकों से उक्त आशय का आवेदन–पत्र प्राप्त होने अथवा नहीं होने की स्थिति में भी अंचल अधिकारी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का कंडिका–i एवं ii के अनुसार निराकरण करने हेतु अभिलेख संधारित कर अंचल में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकनोपरांत एवं समीक्षोपरांत अधिकतम एक माह के अंदर ऑनलाईन पंजी–II में सही प्रविष्टि करने हेतु अपनी स्पष्ट अनुशंसा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेजेंगे एवं तद्नुसार पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार हर माह की पहली तारीख से दसवीं तारीख के बीच की अवधि में कार्यालय दिवसों को संशोधन कार्य किया जायेगा।

(v) कंडिका–1 एवं 2 में संशोधन से संबंधित शुद्धिपत्रों को तीन स्तरों– जिला स्तर, अनुमण्डल स्तर तथा अंचल स्तर पर रक्षी संचिका में संधारित किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

(vi) उक्त सभी मामलों का संधारण e-court management system पर किया जायेगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त संबंध में सम्यक कार्रवाई हेतु अपने सभी अधीनस्थों को निदेशित करते हुए अनुपालन कराने की कृपा की जाय तथा उपर्युक्त मामलों के निष्पादनार्थ व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए पाक्षिक समीक्षा की जाय साथ ही दोषी कर्मियों को चिन्हित् करते हुए उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय, ताकि रैयतों को अनावश्यक परेशानियों एवं भूमि विवाद की आशंका को कम किया जा सके।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

30/10/17

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)–123/2016-5239(5)/रा०दिनांक–30-10-17

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)–123/2016 5239 (5)/रा० दिनांक– 30-10-17

प्रतिलिपिः– निदेशक, भू–अर्जन–सह–भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, झारखण्ड राँची/S.I.O., NIC, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/17

सरकार के संयुक्त सचिव।